अनुलग्नक– 10 (द्रष्टव्य कंडिका 3.10)

मानदर के मद सं0 1(च) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र

पत्रांक-1 प्र0आ0-36/2002.....2765...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

मानदर के मद सं0 1(च) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर आयुक्त ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पटना-15, दिनांक- 25/9/08

विषय: बाढ़ प्रभावित परिवारों को साहाय्य- मानदर की मद संख्या 1 (च) के अंतर्गत खाद्यान्न/ नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्रांक 32-34/2005 NDM-I दिनांक 27 जून 2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-2462 दिनांक 12.08.2007 द्वारा बाढ़/आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निर्धारित साहाय्य मानदर के कंडिका- 4 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ''पूर्व की भांति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 16 [पुराना मानदर मद संख्या- (14)] में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय, के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् जारी रहेगा।''

चूंकि केन्द्रीय मानदर के मद संख्या 1 (च) में Gratuitous relief का प्रावधान किया गया है। इस लिए विभागीय मानदर की कंडिका 4 में की गई व्यवस्था को आपदा राहत कोष समिति की बैठक दिनांक 28.07.2008 को लिए गये निर्णय के आलोक में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

''बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच विभागीय मानदर के क्रमांक 1 (च) के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण तथा 250/-(दो सौ पचास) रुपये प्रति परिवार नगद भुगतान किया जायगा।''

विभागीय पत्रांक 2462/आ0प्र0 दिनांक 12.08.2007 द्वारा परिचारित मानदर को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,
(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: श्री बी0 मुरली कुमार, निदेशक NDM-I, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन – I डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को विभागीय पत्रांक- 2462 दिनांक- 12.08.07, के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री के सूचनाथे प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002 2765 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/9/08

प्रतिलिपि: माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को माननीय राज्यमंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त